

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/02-भू0अ0नि0(आरोप)जमुई-13/2023.....829 पटना, दिनांक :- 03/10/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 112 दिनांक 11.02.2023 द्वारा श्री नीतीश कुमार जवाहर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02404) के विरुद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कार्यों में लगातार निर्देश के बावजूद इनके द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही इनके द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन किया जाता है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 1742 दिनांक 23.02.2023 द्वारा श्री जवाहर से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल कार्यालय द्वारा सरकारी एवं बंदोबस्ती जमीन का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके संबंध में उच्च पदाधिकारियों को इनके द्वारा अवगत कराया जाता रहा है।

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 2630 दिनांक 03.04.2023 एवं स्मार पत्रांक 4315 दिनांक 22.05.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से अनुशंसा सहित सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी के पत्रांक 368 दिनांक 25.05.2023 द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि श्री जवाहर द्वारा सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को पदाधिकारियों के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए उकसाया जाता है, जिसके कारण सर्वे कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। फलस्वरूप तत्काल इनको चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए पुनः भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 5735 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार एवं तथ्य विहीन बताया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण में कतिपय मौजो का कार्य करने के कारण राजस्व ग्राम जोगाझिंगोई में अधिक समय लगने का तर्क दिया गया है।

आरोपित पर लगाए गए आरोप, प्राप्त अनुशंसा एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने प्रथम स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि इन्हें सरकारी एवं बंदोबस्ती जमीन का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिस संबंध में इनके द्वारा उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। इस संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनके स्पष्टीकरण की पुष्टि करता हो। इनके द्वारा अपने दूसरे स्पष्टीकरण में अन्य राजस्व ग्रामों में कार्य पूर्ण करने के कारण राजस्व ग्राम जोगाझिंगोई में अधिक समय लगने का तथ्य दिया गया है, परन्तु इस संबंध में भी इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार एवं तथ्यविहीन अंकित किया गया है। प्राप्त अनुशंसा पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण बंदोबस्त कार्यालय स्तर पर आरोपित से कई बार स्पष्टीकरण किया गया है एवं चेतावनी दी गयी है। मात्र आरोप से बचने के लिए इनके द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही इनके कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, जो सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्यक्रम के लिए उचित नहीं होगा। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही कार्यहित में उचित है।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम - 8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत श्री नीतीश कुमार जवाहर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02404) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-भू0अ0नि0(आरोप)जमुई-13/2023...8319 पटना, दिनांक :- 03/10/2023
प्रतिलिपि :- श्री नीतीश कुमार जवाहर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02404), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-भू0अ0नि0(आरोप)जमुई-13/2023...8319 पटना, दिनांक :- 03/10/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर-40/2022...8319 पटना, दिनांक :- 03/10/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण